समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 11-01-2016 को विद्युत विभागीय संबंधी किये गये कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. जिलाधिकारी, मधेपुरा
2. नोडल पदाधिकारी, विद्युत, मधेपुरा
3. कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा
4. कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा
5. सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा
6. सहायक अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज
7. कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा शहरी
8. कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा ग्रामीण
9. कनीय अभियंता, विद्युत, सिंहेश्वर
10. राजस्व पदाधिकारी, मधेपुरा
11. कनीय अभियंता, विद्युत, मुरलीगंज
12. कनीय अभियंता, विद्युत, कुमारखण्ड
13. राजस्व पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
14. लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा
15. कनीय अभियंता, विद्युत, आलमनगर /चौसा
16. कनीय अभियंता, विद्युत, बिहारीगंज
17. कनीय अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज
18. श्री सतीश कुमार, एजेंसी, उदाकिशुनगंज
19. श्री सुरेन्द्र सिंह, टेक्नो कम्पनी
20. श्री ज्योतिष कुमार वर्मा, मीटर एजेंसी, के0के0
21. श्री शेखर सुमन, फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0
22. श्री आनंद कुमार जयसवाल, टेक्नोफेब इंजिनियरिंग लि0
23. श्री सुरेन्द्र बनर्जी, लेमिनो इन्डस्ट्रीज लि0
24. Vinek Kumar Gupta, Godrej & Boycle Mfg. Co.Ltd.
25. श्री शंकर कुमार, ए0ई0ई0

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी /अभियंता /कर्मी एवं संवेदकों को बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग के कार्य-कलापों की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक माह मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जाती है एवं अपेक्षित सुधार हेतु सख्त निदेश दिये जाते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अभियंता, एजेन्सी एवं संवेदक अपना-अपना कार्य लगनशील होकर एवं ईमानदारी पूर्वक करें। चूंकि यह टीमवर्क है, एक का भी खराब प्रदर्शन, पूरी टीम के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसलिए किसी

भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता अमान्य होगी और दोषी पदाधिकारी /कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(2) ट्रांसफार्मर :-

(i) कार्यपालक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा द्वारा जिला में अधिष्ठापित ट्रान्सफर्मर के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसफार्मर की विस्तृत समीक्षा की गयी।

➢ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस माह में उदाकिशुनगंज में 01 एवं चौसा में 01 अर्थात कुल-02 ट्रांसफार्मर जले हैं, जो 0.45 प्रतिशत है। ट्रांसफार्मर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की गयी, किन्तु उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

➢ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत माह में कुल-141 ट्रांसफार्मर का मेनटेनेंस किया गया है, जबकि चौसा एवं ग्वालपाड़ा फीडर में ट्रांसफार्मर का मेनटेनेस नहीं किया गया, जिस पर खेद व्यक्त की गयी। बताया गया कि आलमनगर के कनीय अभियंता चौसा के प्रभार में है, जिस कारण कार्य में समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी संबंधित कनीय अभियंता /सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि ट्रांसफार्मर का मेनटेनेस शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /सभी सहायक अभियंता /सभी कनीय अभियंता /सभी संवेदक /सभी एजेन्सी)

(3) Meter Insatllation

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस माह में मीटर की कमी के कारण मीटर नहीं लगाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी कि जब मीटर ही नहीं बदला गया है, तो बिलिंग /रीडिंग नहीं हुआ होगा और राजस्व की वसूली भी नहीं हुई होगी। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि सुनिश्चित करें कि इस जिले में कुल कितने मीटर की आवश्यकता है तथा आवश्यकता के अनुसार मीटर प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। वे इससे संबंधित प्रतिवेदन 07 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी को देंगे।

➢ जिलाधिकारी द्वारा सभी कनीय /सहायक अभियंता को निदेशित किया गया कि सभी उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान में शत-प्रतिशत मीटर इन्स्टॉल किया जाए, ताकि सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लग सके। साथ ही कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निदेश दिया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा मीटर शत-प्रतिशत लगाया जा रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा अपने स्तर से करें तथा हरहाल में मीटर शत-प्रतिशत लगवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्य0अभि0 /सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)

(4) Billing

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र में 38.33 प्रतिशत एवं उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र में 26.92 प्रतिशत मीटर रीडिंग किया गया है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। राजस्व पदाधिकारी से पृच्छा की गयी कि शत-प्रतिशत रीडिंग क्यों नहीं हो रहा है तथा राजस्व वसूली कम क्यों हो रही है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक फेंचाइजी का 10-10 बिल संबंधित कनीय अभियंता जांच करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे यह पता चल सके कि किसी फेंचाइजी द्वारा क्षेत्र में गलत बिल डिस्ट्रीब्यूट कर कम राशि तो जमा नही की जा रही है। राजस्व पदाधिकारी इससे संबंधित अपना स्पष्टीकरण कार्यपालक अभियंता के माध्यम से जिलाधिकारी को देंगे।

(अनुपालन कार्य0अभि0 सभी सहायक कनीय अभियंता)

(5) T&D loss / राजस्व संग्रहण

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस जि में कुल 190 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई है तथा इसके विरूद्ध मात्र 71.67 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो कि संतोषजनक स्थिति नहीं है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि राजस्व संग्रहण में अंतिम तीन (न्यूनतम) कनीय अभियंता के क्षेत्र में जांच कर प्रतिवेदन जिलाधिकारी के समक्ष एक सप्ताह के अंदर दें। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि प्राप्त बिजली के विरूद्ध शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-कार्यपालक अभि0,विद्युत/सभी सहायक अभि/सभी कनीय अभि0/सभी एजेन्सी)

(6) विद्युत विच्छेदन (Disconnection)

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र में 3219 एवं उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र में 3255 अर्थात कुल-6474 उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेदन हेतु लक्ष्य निर्धारित है, जिसके फलस्वरूप 417 उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेदन किया गया है, जिसमें 138.34 लाख रू0 वसूली हुई है, जो 56.83 प्रतिशत है। स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी।
- जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि जिस उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेद किया जाता है, उसकी जांच अविलम्ब की जाए, ताकि संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा चोरी कर बिजली का उपयोग नहीं किया जा सके। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हो।
- जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को 10 हजार रू0 से उपर के बकाया वाले उपभोक्ताओं की सूची समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया था, पर सूची अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब सूची नोडल अधिकारी, विद्युत को देना सुनिश्चित करें। निदेश दिया गया कि 10 हजार रू0 से उपर के बकाये वाले उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेद अविलम्ब करें एवं जैसे ही उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बकाया की राशि जमा की जाती है, अविलम्ब नियमानुसार लाईन जोड़ दें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभि0,विद्युत प्र0/सभी सहायक अभि0/सभी कनीय अभियंता, विद्युत विभाग)

(7) छापामारी तथा प्राथमिकी

समीक्षोपरान्त पाया गया कि धारा-135 के तहत् इस माह में कुल 21 प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जबकि विभागीय निदेशानुसार प्रत्येक कनीय अभियंता को माह में कम से कम 15 उपभोक्ताओं के यहां छापामारी करना वांछनीय है। प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि मधेपुरा ग्रामीण एवं शहरी, मुरलीगंज, उदाकिशुनगंज, आलमनगर में बहुत ही कम छापामारी की गयी है, जबकि चौसा में शून्य है। स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। जिलाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त की गयी।

सभी कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि कम से कम प्रत्येक माह 15-15 छापामारी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों यथा- नर्सिंग होम, होटल /ग्रिल दुकान /मिल आदि में नियमित रूप से करें तथा नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करावें। यदि छापामारी में सहयोग की आवश्यकता हो, तो संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से छामापारी की जाए। यह भी निदेशित किया गया कि आगामी माह से कम छापामारी किए जाने पर संबंधित कनीय अभियंता के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन-नोडल पदा0/कार्य0अभि0/सभी सहा0अभि0/सभी क0अभि0 /सभी अनु0पदा0)

(8) Reconducting

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रिकंडक्टिंग हेतु 40 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरुद्ध मात्र 25.7 किलोमीटर रिकंडक्टिंग का कार्य किया गया। सभी सहायक अभियंता को निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत रिकंडक्टिंग कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन से अगली बैठक में अवगत करायेंगे।

(अनुपालन-नोडल पदा0/कार्य0अभि0/सभी सहा0अभि0/सभी क0अभि0)

(9) Certificate Case

- समीक्षा के क्रम में जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नीलाम पत्र की सुनवाई हेतु पत्र निर्गत कर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक वृहस्पतिवार को 03:00 बजे अप0 से नोडल पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि नीलाम पत्र वाद के जितने भी मामलें लंबित है, उसका त्वरित गति से निष्पादन हेतु ससमय न्यायालय में उपस्थित होने तथा पक्ष रखें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभि0,विद्युत/नोडल पदा0 विद्युत/जिला नीलाम पत्र पदा0, मधेपुरा)

(10) जनशिकायत :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनता दरबार में विद्युत विभाग से संबंधित अत्यधिक मामलें लंबित है, जो खेद का विषय है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा तथा सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जनता दरबार के जो भी मामलें, जो लंबित हो/ निष्पादित हो, उसकी प्रति संबंधित कनीय अभियंतावार एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें। नोडल पदाधिकारी इसकी सतत पर्यवेक्षण करेंगे।

(11) विद्युत परियोजना :-

- जिलाधिकारी द्वारा विद्युत परियोजना द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गयी। कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि 1,40,000 कनेक्शन के लक्ष्य के विरुद्ध 8,965 कनेक्शन का कार्य हो चुका है। बताया गया कि 99 हजार बी0पी0एल0 कनेक्शन के लक्ष्य में जांच कर पाया गया कि कुछ नाम डबल भी है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यह भी बताया गया कि 103 गांव में विद्युत संचरण का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें 81 गांव में से 10 गांव का संबंधित कागजात समर्पित की गयी है। समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि सभी राजस्व ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य करना है तथा जो प्राथमिकी सूची बनायी गयी है, उसी के अनुरूप कार्य किया जाना है। साथ ही 103 गांव में किए गए विद्युतीकरण कार्य का प्रमाण-पत्र संबंधित कनीय अभियंता से प्राप्त कर लें कि उस क्षेत्र में सभी कार्य सही ढ़ंग से एवं मानक के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं।
- कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना को यह भी निदेश दिया गया कि जिस गांव में कार्य पूर्ण हो गया है या कार्य चल रहा है, उसकी सूचना संबंधित कनीय /सहायक अभियंता /नोडल पदाधिकारी (विद्युत) को भी दी जाए, ताकि कार्य में समन्वयन तथा पर्यवेक्षण सही ढ़ंग से हो। कार्यपालक अभियंता, परियोजना को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सोमवार कार्यपालक अभियंता, विद्युत के साथ समीक्षा बैठक कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करें तथा एक-दूसरे का

समन्वयन तथा सहयोग करें, ताकि कार्य में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। बैठक की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भी भेंजे। नोडल पदाधिकारी इसका पर्यवेक्षण करें।

(12) इस माह में किये जाने वाले कार्य का लक्ष्य :-

जिलाधिकारी द्वारा सभी कनीय अभियंता /सहायक अभियंता /कार्यपालक अभियंता, मधेपुरा जिला को विगत एक माह में किए जाने वाले कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो निम्नवत् है :-

1-कम से कम पांच-पांच हजार मीटर को बदलना है, इसे सुनिश्चित करें।

2-बिलिंग का कार्य शत-प्रतिशत हो।

3-जितना रीडिंग हुआ है, उसका शत-प्रतिशत बिल जेनरेट करें।

4-आगामी माह में Paying Consumer की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हेतु उपाय करेंगे।

5-सभी कनीय अभियंता कम से कम 15-15 उपभोक्ता के यहां छापामारी करें।

6-सभी डिफेक्टिव मीटर को 15 जनवरी, 2016 तक बदलें।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उपरोक्त कार्य निर्धारित समयावधि में अपने पर्यवेक्षण में सुनिश्चित करायेंगे, यदि जिन कनीय /सहायक अभियंता द्वारा उक्त कार्य में शिथिलता बरती जाती है, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव ससमय अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से उच्चाधिकारी को सम्प्रेषित करेंगे।

(अनुपालन-सभी संबंधित एजेंसी/संवेदक/सभी कनीय/सहायक अभियंता/कार्य0अभियंता, विद्युत)

(13) अन्यान्य

(क) जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 09-01-2016 को गम्हरिया प्रखण्ड में आयोजित जनता दरबार में ऐसी शिकायत प्राप्त हुई कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत किए जा रहे कार्य में तार /पोल लगाने में गलत ढ़ंग से श्री अखिलेश कुमार, टेकनो कर्मी द्वारा राशि की मांग की जाती है तथा व्यक्ति विशेष के तौर पर कार्य किया जाता है, जो विभागीय नियम के प्रतिकूल है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जांच कर उक्त कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करावें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, विद्युत, परियोजना, मधेपुरा)

(ख) समीक्षा के क्रम में मीटर एजेंसी के कर्मी श्री सुनील कुमार द्वारा बताया गया कि उन्हें अप्रैल-मई, 2015 में बदले गये मीटर कार्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। साथ ही सितम्बर एवं दिसम्बर माह में कैम्प में मीटर लगाये गये थे, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। संबंधित संवेदक द्वारा बताया गया कि अगर कार्य में विलम्ब होता है, तो पेनाल्टी लगाकर पैसा भी काटा जाता है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि उक्त संवेदक का नियमानुसार अविलम्ब राशि की भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक में रखा जाए। साथ ही कोई भी मीटर रीडिंग में कार्यरत फ्रेंचाइजी जिसका भुगतान लंबित है, उसका भुगतान नियमानुसार किया जाए। अकारण लंबित भुगतान की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी कर्मी /पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन-नोडल पदाधिकारी, विद्युत /कार्य0अभि0,विद्युत/सभी सहायक अभि0)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक......89......./गो०, मधेपुरा, दिनांक....13.01.2016

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे अपने स्तर से सभी अधीनस्थ परियोजना /सहायक अभियंताओं, कनीय अभियन्ताओं एवं एजेन्सियों को इसकी प्रति अनुपालन हेतु उपलब्ध करा देगें और दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /नोडल पदाधिकारी, विद्युत /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कॉर०लि०, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने/ ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी

मधेपुरा।